कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश

संख्याः सी–115 /ई–1, लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी स्थित ग्राम टेकनपुर, सहनूपुर में छोटी सरयू ड्रेन पर निर्मित जोकहरा बॉध दिनॉक–03.08.2020 को प्रातःकाल टूट जाने के कारण कतिपय ग्रामों में जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो गयी। श्री दीपक कुमार, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, आजमगढ़ द्वारा उक्त स्थल पर बाढ सुरक्षा कार्य कराये जाने के कोई प्रयास नहीं किये गये एवं वे मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। दूरभाष पर सम्पर्क करने पर उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ पाया गया। तद्विषयक जिलाधिकारी, आजमगढ एवं आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमढ़ द्वारा भी सूचना उपलब्ध कराकर श्री दीपक कुमार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का अनुरोध किया गया। अतः श्री दीपक कुमार द्वारा प्रथम दृष्टया अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने एवं बाढ़ जैसे संवेदनशील विषय पर लापरवाही बरतने के दृष्टिगत उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0, कानपुर से एतद्द्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

बाढ़ खण्ड, आजमगढ़ के कार्यक्षेत्र में बाढ़ की संवेदनशीलता के दृष्टिगत बाढ़ कार्यो के तत्काल प्रबन्धन हेतु श्री दलीप कुमार, अधिशासी अभियन्ता/प्रबन्धक (पिम), गण्डक बाढ़ मण्डल, गोरखपुर को अपने वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, आजमगढ़ के पद का कार्यभार अस्थायी रूप से उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के कम में अग्रिम आदेशों तक सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा निर्गत किये जाते हैं।

उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री दलीप कुमार, अधिशासी अभियन्ता को अतिरिक्त वेतन/भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

विनोद कुमार निरंजन
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

संख्याः सी–115 (1)/ई–1/तदिनांक –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को उनसे दूरभाष पर हुई वार्ता के कम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि बाढ़ खण्ड, आजमगढ़ में अधिशासी अभियन्ता की नियमित तैनाती करने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री, उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (कार्मिक), स्तर–1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (पूर्व)/(मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर/लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर को उनके पत्रांक–3906/मुअगो/कैम्प, दिनांक–04.08.2020 के सन्दर्भ में।
7. मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
8. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जॉच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. श्री दलीप कुमार, अधिशासी अभियन्ता/प्रबन्धक (पिम), गण्डक बाढ़ मण्डल, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आज ही उक्त खण्ड में कार्यभार ग्रहण कर बाढ़ कार्यो का प्रबन्धन सुनिश्चित करें।
10. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

04/8/2020
(डी0 के0 पाण्डुवाल)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक–1/3)

Gokaran

Scanned with Ca